उखाड़ फेंकेगी जनता

- गुलाब कोठारी

राजस्थान विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला है। यूं तो लोकाचार निभाने जैसा संक्षिप्त ही होने की संभावना है। इस सत्र में वैसे तो विधायकों ने लगभग 1200 प्रश्न लगा रखे हैं, किन्तु लोकतंत्र की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा सरकार द्वारा इस्तगासा दायर करने को लेकर सी.आर.पी.सी. में किया गया संशोधन। इस संशोधन से आई.पी.सी. की धारा 228 में 228 बी जोडक़र प्रावधान किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) और धारा 190 (1)(सी) के विपरीत कार्य किया गया तो दो साल कारावास एवं जुर्माने की सजा दी जा सकती है। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट व लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने से पहले उनका नाम एवं अन्य जानकारी का प्रकाशन, प्रसारण नहीं हो सकेगा।

वैसे न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति पहले भी आवश्यक है। लोकसेवकों को इनकी आड़ में जोडऩे के लिए इनका हवाला दे दिया। सही बात तो यह है कि सरकार ये मंशा स्पष्ट कर रही है कि उसे आज भी लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। उसे तो सामन्ती युग की पूर्ण स्वच्छन्दता ही चाहिए। दुर्योधन का राज्यकाल चाहिए। भ्रष्ट कार्य प्रणाली की वर्तमान छूट भी चाहिए और भावी सरकारों से सुरक्षा की गारण्टी भी चाहिए। क्या बात है! याद करिए जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही कहा था कि 'हम हौसलों की उड़ान भरते हैं।' क्या हौसला दिखाया है!

सात करोड़ प्रदेशवासियों ने जिस सम्मान से सिर पर बिठाया था, उसे ठेंगा दिखा दिया। यहां तक कि बार-बार विधि विभाग के असहमति प्रकट करने को सिरे से नकार ही नहीं दिया, बल्कि विधि विभाग को अपने हाथ में ले लिया। अब कौन रोक सकता था इस अनैतिक आक्रमण को? अनैतिक इसलिए कह रहा हूं कि यह संशोधन असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय के सन 2012 के फैसले के खिलाफ है, जो सुब्रह्मण्यम स्वामी के मामले में दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही कानून दो वर्ष पहले लागू किया है। वहां अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार को केवल तीन माह का समय दिया गया है, तथा सजा का प्रावधान भी नहीं है। फैसले को लागू करने की जो जल्दबाजी सरकार ने दिखाई वह भी आश्चर्यजनक है। आनन-फानन में राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को स्वीकृत करना और इस विधानसभा सत्र की प्रतीक्षा न करना सब प्रश्नों के घेरे में आ जाते हैं!

वैसे न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय की पूर्व स्वीकृति पहले ही आवश्यक है। लोकसेवकों को इनकी आड़ में जोडऩे के लिए इनका हवाला दे दिया। सही बात तो यह है कि सरकार ये मंशा स्पष्ट कर रही है कि उसे आज भी लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। उसे तो सामन्ती युग की पूर्ण स्वच्छन्दता ही चाहिए। दुर्योधन का राज्यकाल चाहिए। भ्रष्ट कार्य प्रणाली की वर्तमान छूट भी चाहिए और भावी सरकारों से सुरक्षा की गारण्टी भी चाहिए। क्या बात है! याद करिए जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ही कहा था कि 'हम हौसलों की उड़ान भरते हैं।' क्या हौसला दिखाया है!

क्या उसी तर्ज पर विधानसभा भी इसे पारित कर देगी?

सरकार और सभी 200 विधायक अगले विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़े हैं। राजस्थान की जनता का पिछले चार साल का काल काले भ्रष्टाचार की खेती को पनपते देखते गुजरा है। आम आदमी एक ओर नोटबन्दी और जीएसटी से त्रस्त है। दूसरी ओर राज्य की खोटी नीयत की मार पड़ रही है। ऐसे में यह संशोधन यदि पास हो जाता है, तो निश्चित है कि जनता अगले चुनाव में सरकार को दोनों हाथों से उखाड़ फेंकेगी। भले ही सामने विपक्ष कमजोर हो। लोकतंत्र स्वयं मार्ग निकाल लेगा। अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को प्रतिष्ठित करने के लिए भाजपा को नहीं चुना था। कांग्रेस बिलों से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है।

सरकार को रीढ़विहीन कहना गलत नहीं होगा क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों को दण्डित करने के बजाए उनको बचाने के लिए कानून बना रही है। क्या करोड़ों मतदाताओं का दिया अधिकार धूल हो गया? अथवा सरकार की स्वार्थपूर्ति के लिए ही लोकसेवक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं?

विधायकों को अपने साथ-साथ प्रदेश के भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए। धन तो जड़ पदार्थ है। उसके लिए करोड़ों चैतन्य आत्माओं की आस्था से खिलवाड़ कहीं ऐसा कुछ न कर दे जिसकी आपको आज कल्पना ही नहीं। फिर आपको भविष्य में भी राजनीति करनी है तो संतुलित विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए। लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला संशोधन पास नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप भी जनता की अदालत में पास नहीं होंगे।

सरकार केवल भ्रष्ट विधायकों और लोकसेवकों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। उन्हें अपराध की खुली छूट दे रही है। इसका कारण पूर्ण बहुमत ही है। इसी शक्ति के अहंकार के बूते पर संविधान के 91वें संशोधन के तहत लाभ के पद के दायरे में आने वाले विधायकों को हटाने के विरुद्ध भी कानून आ रहा है। भले ही राष्ट्रपति ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, भले ही चुनाव आयोग ने हरी झण्डी न दी हो, भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति न दी हो, भले ही देश के छह उच्च न्यायालायों ने संविधान के 91 वे संशोधन से छेड़छाड़ के लिए मना कर दिया हो। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि सन 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही एक संशोधन (संसदीय सचिवों को लेकर) राज्यसभा में पेश किया था। भाजपा के घोर विरोध के कारण तब यह संशोधन पास नहीं हुआ और अभी तक लम्बित है।

राज्य सरकार इस कानून को भी आप सभी 200 विधायकों के हाथों ही पास करवाने वाली है। विचार तो आपको भी गंभीरता से करना ही चाहिए कि क्या कोई राज्य सरकार न्यायालय को आदेश दे सकती है कि उसे किस मामले में सुनवाई करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए? क्या पुलिस जांच के बाद भी सुनवाई करने के लिए न्यायालय को सरकार से स्वीकृति लेनी जरूरी होना चाहिए? क्या एसीबी या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रकाशित नहीं करना ही संविधान की धारा 19(1) में प्रदत्त 'स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति' का मन्तव्य रह जाएगा? तब क्या जरूरत है मतदान की, चुनाव की, संविधान की! सरकार ने भी परोक्ष रूप से घोषणा कर ही दी है कि उसको भी जनहित और जनतंत्र में विश्वास नहीं है। एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि क्या महाराष्ट्र और राजस्थान में उठाए गए इन कदमों को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की स्वीकृति भी प्राप्त है।

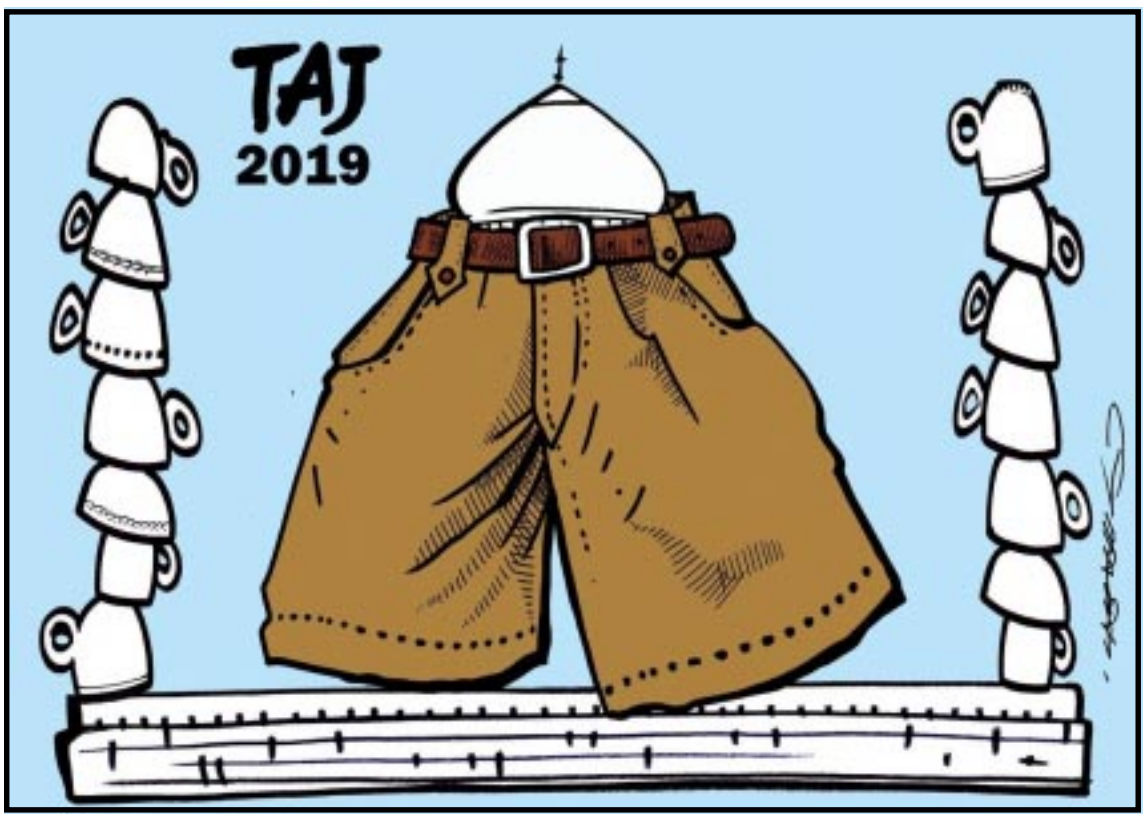

बैंक जन धन लुटायेंगे, कॉरपोरेट बढ़- चढ़ कर लूटेंगे

हमारे टेक्स के पैसे से मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बैंकों को खैरात बाटने की घोषणा कर दी अरूण जेटली ने कहा कि दो सालों में सरकारी बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे. इस पैसे की बदौलत सरकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी सीएआर में बढ़ोतरी होगी. वैसे आपको बता दूं कि सीएआर बैंकों को कर्ज के जोखिम से निबटने में मदद करता है. नोटबंदी के बाद बैंकों के पास नकदी तो आ गई, लेकिन वो रकम कर्ज के तौर पर देने में दिक्कत सीएआर को लेकर रही.इसलिए सीएआर बढ़ेगी तो डूबे हुए उद्योग पतियों को ओर ज्यादा कर्ज दिया जाएगा।

कहने को तो यहाँ तक कहा गया है कि ऐसी स्थिति में फंसी हुई परियोजनाओं के साथ-साथ नई परियोजनाओं के लिए पैसे का इंतजाम हो सकेगा. ये रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद करेगा. ये भी तय किया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम यानी एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाएगी. एमएसएमई बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके तैयार करता है. दूसरी ओर क्षेत्र विशेष के लिए मुद्रा योजना तैयार की जाएगी., लेकिन हकीकत में ऐसा होना सम्भव नही दिखता, ले देकर ये पैसा पुराने कर्ज को ही पाटने के काम आएगा।

पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैकों को साफ तौर पर कहा था कि वे मार्च, 2017 तक अपनी बैलेंस शीट की हालत दुरुस्त कर लें लेकिन इसी बात के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया !

वैसे पिछले साल रिजर्व बैंक एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बता चुका है कि कुल 57 बकायेदारों पर बैंक के एनपीए का 85 हजार करोड़ रूपये बकाया है, आरबीआई कहती हैं कि नाम गुप्त रहने चाहिए..... सुप्रीम कोर्ट पूछ रही हैं कि 'लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति ने कितना कर्ज लिया और उसे कितना लौटाना है. इस तरह की राशि के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए. आखिर सूचना को क्यों छिपाया जाए.' ?

रिजर्व बैंक कहता हैं कि वह बैंकों के हितों में काम कर रहा है और कानून के मुताबिक कर्ज नहीं लौटाने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किये जा सकते.! इस पर कोर्ट ने कहा, 'रिजर्व बैंक को देश हित में काम करना चाहिए न कि केवल बैंकों के हित में. ?

वैसे कोर्ट यह भी कहता हैं कि 'लोग हजारों करोड़ रुपये ले रहे हैं और अपनी कंपनियों को दिवालिया दिखाकर भाग जा रहे हैं लेकिन वहीं 20,000 रुपये या 15,000 रुपये कर्ज लेने वाले गरीब किसान परेशान होते हैं.'

लेकिन क्या करे भाई साहब, यह सारी बाते हिन्दू हित की नही है ना , इसलिए इन बातो पर कोई चर्चा नही होता। नही तो दिल्ली मे पटाखा नही जलाने को मिले तो ही भक्तों की सुलगने लगती है।

चाहे 57 कॉरपोरेट मिलकर 85 हजार करोड़ दबा ले , चाहे 12 ऐसे बैंक खातों में मिले जिन पर 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। किसी को कुछ फर्क नही पड़ता। क्योकि जो हिन्दू हित की बात करेगा , वही देश पर राज करेगा। अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में ।

- गिरीश मालवीय
(जनचौक से साभार)

बच्चे को पार्क में घूमते समय एक गिरगिट दिखा उसने जोर से पुकारा पापा देखो गिरगिट!

पापा दौड़ते हुए आये और कहा.... 'बेटा, धीरे बोल आजकल गिरगिटों को उर्जित पटेल भी बोलते हैं' .....

रिजर्व बैंक रोज गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। दो दिन पहले तक वह कह रहा था बैंक खाते को आधार से लिंक करने के संदर्भ में उसने अब तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है ओर अब उसने स्पष्ट किया है कि सभी खाताधारकों के अपने-अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराना अनिवार्य है ओर इसलिए है कि यह भारत सरकार का फैसला है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जिन मामलों में लागू होता है उसमें आधार नंबर को बैंक खाते से प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्ड्स) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत जोड़ना अनिवार्य है। इसे 1 जून, 2017 के राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है। ये वैधानिक नियम है और बैंकों को इस संदर्भ में आगे किसी निर्देश का इंतजार किए बिना इसे लागू करना है। वैसे आधार की परिकल्पना लोगो को फायदा पहुंचाने वाले पहचान पत्र के रूप में की गयी थी अब सरकार इसे निरोधक के रूप में प्रयोग ला रही है सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल महज छह योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा था, लेकिन किसे परवाह है। आपकी जानकारी के लिए, भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए कानून (Prevention of Money Laundering Act, 2002) जिसे संक्षेप में PMLA, कहा जाता है। इसमें आरबीआई, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को लाया गया है। इसलिए बात अधिकार क्षेत्र की नही है, लेकिन इस कानून का उद्देश्य है काले धन को सफेद करने से रोकना ओर काला धन मुख्य रूप से इन लोगो के पास नही है जिन्हे सरकार दौड़ा दौड़ा कर आधार कार्ड बनवा रही है। काले धन के सबसे बड़े स्त्रोत तो ज्वेलर्स बने हुए है जिन्हें सुविधा देते हुए मोदी सरकार ने ज्वैलरी खरीदने पर केवायसी की लिमिट 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी, काला धन तो फिर से पीला होकर सुरक्षित हो जाएगा ओर बैंक सिर्फ मजबूर जनता को परेशान करते रहेंगे वैसे मोदी सरकार ने ज्वैलरी सेक्टर में 2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया था, अब तक कितने ज्वेलर्स इस कानून के नियमों के अंतर्गत आये है क्या कोई रिकार्ड है ? सब जानते है कि नोटबन्दी की रात ज्वेलर्स ने अपनी पूरी दुकाने खाली कर दी पर किसी एक भी ज्वेलर्स पर कोई कार्यवाही होती अब तक नही सुनी, नियम कायदों के नाम पर सिर्फ आम जनता को परेशान किया जाता हैं।

वैसे भी मोदी सरकार की एक आदत बन गयी हैं,कि मगरमच्छों को मारने के लिए तालाब के पानी मे ही जहर मिला देती हैं.....

-फेसबुक